

अनुभाग :- सूचना का अधिकार अनुभाग, सी.आई.डी. सी.बी., राज0, जयपुर।

(1) प्रस्तावना

12 अक्टूबर 2005 को लागू सूचना का अधिकार कानून एवं महत्वपूर्ण प्रस्तर चिन्ह है जो हमारी लोक सेवाओं को पारदर्शीस्वरूप देने एवं शासन में आमजन की भागीदारी को सुनिश्चित कर लोकतंत्र को प्राणवान बनाने का अवसर देता है। लोक प्राधिकारी महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर द्वारा अधिनियम की धारा 5 (1) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यालय आदेश क्रमांक 4337-4497 दिनांक 03.09.2012 द्वारा पुलिस मुख्यालय में 12 राज्य लोक सूचना अधिकारी, 12 सहायक लोक सूचना अधिकारी एवम 1 प्रथम अपील अधिकारी नियुक्त किए गए। इस कानून के प्रयोग के विस्तार के साथ ही कानून के सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक पक्षों के सम्बन्धों में सूचना प्रदाता एवं सूचना के प्राप्तकर्ताओं को निरन्तर जागरूक करने एवं उनकी समस्याओं के विकास की आवश्यकता अनुभूत करते हुए आवेदकों के आवेदन पत्रों पर समयावधि में सूचनाएं उपलब्ध कराना प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील के निर्णयानुसार पालना अति शीघ्र कराना है।

(2) संगठन की विशिष्टियां, कृत्य एवं कर्तव्य :-

इस अनुभाग में सीआईडी (सी.बी.) से सम्बन्धित निम्नांकित कार्य सम्पादित किये जाते हैं :-

(i) कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा, राजस्थान, जयपुर के अन्तर्गत आने वाले समस्त अनुभागों की सूचना नियमानुसार आवेदक को उपलब्ध कराना।

(3) अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य :-

अपराध शाखा से सम्बन्धित सूचनाएं कानून की मंशा के अनुरूप अतिशीघ्र आवेदक को सूचनाएं उपलब्ध कराना है।

(4) कृत्यों के निर्वाहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख :-

आदेश क्रमांक 4337-4497 दिनांक 03.09.2012

आदेश क्रमांक 3284-3420 दिनांक 03.06.2013

आदेश क्रमांक 6116-6217 दिनांक 25.10.2013

आदेश क्रमांक 6375-6476 दिनांक 06.11.2013 की छायाप्रतियां संलग्न हैं।

(5) नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता या जन प्रतिनिधी से परामर्श के लिये बनायी गई व्यवस्था का विवरण :-

अनुभाग द्वारा विभागीय नीति एवं राज्य सूचना आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना की जाती है।

(6) लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों के अनुसार विवरण :-

(7) बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण :-

अनुभाग कार्यालय महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा, राजस्थान, जयपुर के अधीन है।

(8) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टताएँ :-

1. लोक सूचना अधिकारी :- उप महानिरीक्षक पुलिस सीआईडी (सीबी), राज0, जयपुर।
2. सहायक लोक सूचना अधिकारी :- पुलिस अधीक्षक, सीआईडी (सीबी), राज0, जयपुर।
3. प्रथम अपील अधिकारी :- अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा एवं प्रथम अपील अधिकारी, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।

(9) निर्णय लेने की प्रक्रिया :-

1. आवेदन पत्रों पर राज्य लोक सूचना अधिकारी, अपराध शाखा, राज0, जयपुर।
2. प्रथम अपीलों पर अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा, राज0, जयपुर।
3. द्वितीय अपीलों पर मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयोग।

(10) अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका :-

क्र. सं.	नाम	पदनाम	एस. टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई मेल	पता
				कार्यालय	आवास			

1	श्री बी.एल. सोनी	अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा, एवं प्रथम अपील अधिकारी, पुलिस मुख्यालय, राज0, जयपुर।	0141	2740873			—	कमरा नं0 337, तीसरी मंजिल, पुलिसमुख्यालय, लालकोठी, जयपुर।
2	श्री विकास कुमार	उप महानिरीक्षक पुलिस एवं राज्य लोक सूचना अधिकारी, अपराध शाखा, राज0, जयपुर।	0141	2740984				कमरा नं0 334, तीसरी मंजिल, पुलिसमुख्यालय, लालकोठी, जयपुर।
2	श्रीमती लवली कटियार	पुलिस अधीक्षक, (प्रशासन, पीआरसी) एवं राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी, अपराध शाखा, राज0, जयपुर।	0141	2740601				कमरा नं0 331 तीसरी मंजिल, पुलिसमुख्यालय, लालकोठी, जयपुर।
3	श्री कमलेश कुमार	हैड कानि0 नं. 118	0141	2740561			—	कमरा नं0 325, तीसरी मंजिल, पुलिसमुख्यालय, लालकोठी, जयपुर।
4	श्री पवन कुमार शर्मा	कानि0 नं0 444	0141	2740561			—	कमरा नं0 325, तीसरी मंजिल, पुलिसमुख्यालय, लालकोठी, जयपुर।
5	श्री सुरेश चन्द	कानि0 नं0 947	0141	2740561			—	कमरा नं0 325, तीसरी मंजिल, पुलिसमुख्यालय, लालकोठी, जयपुर।

(11) प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति :-लेखा शाखा से सम्बन्धित है।

(12) प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट :-लेखा शाखा से सम्बन्धित है।

(13) अनुदान/राज सहायता के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति :- शून्य

(14) रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा अधिकारों के प्रप्तिकर्ताओं के सम्बन्ध में विवरण:- शून्य

(15) कृत्यों के निर्वहन के लिये स्थापित मानक/नियम :-

कृत्यों के निर्वहन हेतु निम्नांकित नियमावलियों का पालन किया जाता है :-

(i) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की पालना की जाती है।

(ii) राजस्थान सरकार, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ द्वारा जारी किए गए आदेश/परिपत्रों की पालना की जाती है।

(16) इलैक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचनायें :-

शून्य

(17) सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण :-

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार सूचना चाहने वाले व्यक्ति को प्रार्थना पत्र के साथ 10 रुपये नकद/बैंकर्स चेक/भा.पो.आ./ डिमान्ड ड्राफ्ट शुल्क देना होगा इसके अतिरिक्त वांछित अभिलेख की प्रति पृष्ठ दो रुपये प्रति पेज शुल्क (ए 4 अथवा ए 3) साईज हेतु वास्तविक शुल्क की लागत इलैक्ट्रिक माध्यम से सूचना प्राप्त करने हेतु वास्तविक शुल्क लागत अदा करनी होगी। डिस्क या फलोपी में सूचना प्राप्त करने हेतु 50 रुपये प्रति फलोपी या डिस्क अदा करनी होगी।

सूचना के अधिकार हेतु मार्गदर्शिका

प्रपत्र – 1

- | | | |
|---------------------------|---|--|
| 1. लोक प्राधिकरण का नाम | — | श्री कपिल गर्ग |
| क. पदनाम | — | महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर। |
| ख. पता | — | लालकोठी, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर। |
| ग. दूरभाष | — | 0141—2744435 |
| लोक सूचना अधिकारी का नाम— | | श्री विकास कुमार |
| क. पदनाम | — | उप महानिरीक्षक पुलिस,सीआईडी सी.बी., जयपुर। |
| ख. पता | — | लालकोठी, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर। |
| ग. दूरभाष | — | 0141 2740984 |
-
- | | | |
|--------------------------------------|---|--|
| 2. आवेदन शुल्क प्रार्थना पत्र के साथ | — | 10 रुपये |
| 3. अभिलेखों के निरीक्षण के लिए | — | प्रथम घंटे—कोई फीस नहीं अतिरिक्त प्रत्येक 15 मिनट या उसके भाग के लिए 5 रुपये |
| 4. प्रतिलिपि (ए4 या ए3 आकार में) | — | 2 रुपये प्रति पृष्ठ |
| 5. प्रतिलिपि (बड़े आकार के पृष्ठ) | — | वास्तविक लागत कीमत |
| 6. सैम्पल या मॉडल के लिए | — | वास्तविक लागत कीमत |
| 7. डिस्क या फ्लोपी में | — | 50 रुपये प्रति फ्लोपी या डिस्क |
| 8. मुद्रित सूचना के लिए | — | नियत मूल्य या प्रकाशन के उद्धरणों की प्रति पृष्ठ फोटो के लिए 2 रुपये |
- ❖ शुल्क राशि नकद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चेक अथवा भारतीय पोस्टल आर्डर के रूप में जमा करायी जा सकती है।
- ❖

प्रपत्र-3

वेबसाइट पर सूचना हेतु

माह.....मई 2019..... की स्थिति

क्र. सं.	राज्य लोक सूचना अधिकारी सी.आई.डी. (सी.बी.) राज0 जयपुर	लोक सूचना अधिकारी के पास प्राप्त आवेदनों की स्थिति								
		गत माह के अन्त में लम्बित	माह में प्राप्त आवेदन				माह में निस्तारित आवेदन			माह के अन्त में लम्बित आवेदन
			लो.सू.अ. के यहां	स.लो.सू.अधि. से प्राप्त	अन्य लो.सू.अ. से प्राप्त	कुल	स्वीकृत	अस्वीकृत	अन्य लो.सू. अधि. को संदर्भित	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		17	33	00	05	38	44	03	11	08

अपील अधिकारी के यहां दर्ज अपीलों की स्थिति						लो.सू.अधि. को प्रताडना / दण्ड	
माह के अन्त में लम्बित	नई दर्ज	स्वीकृत	अस्वीकृत	लम्बित	प्रताडना	दण्ड	
12	13	14	15	16	17	18	
01	06	06	00	01	00	00	